भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2342

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

बाल विवाह निवारण तंत्रों की प्रभावशीलता

2342. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान चाइल्डलाइन, जिला अधिकारियों/अन्य रिपोर्टिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त बाल विवाह से संबंधित शिकायतों/अलर्ट/रिपोर्टों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) विवाह से पहले निवारक कार्रवाई किए गए मामलों की संख्या कितनी है और विवाह होने के बाद हस्तक्षेप किए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे मामलों में सूचना प्राप्ति और जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप के बीच का औसत समय कितना है;

(घ) पूर्व सूचना पर कार्रवाई करने में विफलता के दर्ज मामलों की संख्या कितनी है और अधिकारियों/संस्थानों पर क्या जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(ड.) उक्त राज्य में बाल विवाहों को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, अंतर-विभागीय समन्वय और समयबद्ध प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 के तहत पंजीकृत बाल विवाह मामलों का डेटा संकलित करके करता है, अपनी वार्षिक पत्रिका 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट वर्ष 2023 तक की उपलब्ध है, जिसमें अपराध का श्रेणीवार और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण दिया गया है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 2021-2023 के दौरान उत्तर प्रदेश में पीसीएमए के तहत दर्ज किए गए मामले, आरोप दाखिल किए मामलों, दोषसिद्धि मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोप पत्र दाखिल किए गए व्यक्तियों और दोषसिद्धि हुए व्यक्तियों की संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

भारत सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) बाल विवाहों को रोकने और उन पर अंकुश लगाने तथा बाल विवाहों के आयोजन में शामिल लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिनियमित किया है। पीसीएमए की धारा 16 राज्य सरकार को पूरे राज्य या उसके निर्दिष्ट भाग के लिए एक या अधिक अधिकारियों को 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' के रूप में नियुक्त

करने का अधिकार देती है, जिनका अधिकार क्षेत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है, जिनमें उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करके बाल विवाहों के आयोजन को रोकना; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों को सलाह देना या स्थानीय निवासियों को बाल विवाहों के आयोजन को बढ़ावा देने, सहायता करने, सहयोग करने या अनुमति देने से रोकना; बाल विवाहों के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना; और बाल विवाहों के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना शामिल है। ये सभी प्राधिकारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते हैं।

इसके अलावा, अधिनियम के कार्यान्वयन को मजबूत करने और बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में प्रगति को तीव्र करने के लिए सरकार ने दिनांक 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 'समग्र सरकार' और 'समग्र समाज' की भागीदारी के माध्यम से 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए बालिकाओं और महिलाओं में शिक्षा, कौशल विकास, उद्यम और उद्यमिता को बढ़ावा देना बेहद महत्वपूर्ण है। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता पैदा करना, माता-पिता, परिवारों और समुदायों की भागीदारी बढ़ाना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की भूमिका और क्षमता को मजबूत करना, बाल विवाह के मामलों की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना तथा स्कूल छोड़ने वाली या बाल विवाह के जोखिम वाली किशोरियों की पहचान करना है ताकि उनकी शिक्षा, कौशल विकास एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

इस अभियान की सफलता का उत्सव मनाने तथा प्रयासों को और अधिक तेज करने के लिए, बाल विवाह मुक्त भारत के अंतर्गत दिनांक 4 दिसंबर 2025 को 100 दिनों के विशेष अभियान की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को एक सुनियोजित और समयबद्ध तरीके से एकजुट करना था। इस 100 दिनों के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य संस्थानों, सामुदायिक नेताओं और सेवा प्रदाताओं तक लक्षित पहुंच बनाना और साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) के ब्यौरे को बीवीएमबी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है।

यह अभियान एक चरणबद्ध विषयगत कार्यान्वयन योजना का अनुसरण करता है। चरण-1 (27 नवंबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025) विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिताओं तथा शपथ ग्रहण आयोजन के माध्यम से जागरूकता गतिविधियों पर केंद्रित है। चरण-2 (1 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026) धार्मिक संस्थानों और विवाह संबंधी सेवा प्रदाताओं, जिनमें मंदिर, मस्जिद, कैटरर्स, टेंट हाउस तथा डीजे शामिल हैं, के साथ जुड़ाव स्थापित करना है ताकि बाल विवाह को हतोत्साहित किया जा सके एवं आईईसी सामग्री प्रदर्शित की जा सके। चरण-3 (1 फरवरी, 2026 से 8 मार्च, 2026) ग्राम पंचायतों और नगर पालिका वार्डों को अपने अधिकार क्षेत्र को बाल विवाह मुक्त घोषित करने वाले प्रस्ताव पारित करने के लिए एकजुट करने पर केंद्रित है।

बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल (https://stopchildmarriage.wcd.gov.in) एक विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो बाल विवाह घटनाओं की रिपोर्टिंग, सूचना प्रसार और शपथ पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। नागरिक, संस्थाएं और जन प्रतिनिधि इस विशिष्ट पोर्टल के साथ-साथ माईगॉव (MyGov) पोर्टल के माध्यम से भी बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ ले सकते हैं, जिससे व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। 11 .02.2026 तक, जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 7.75 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचा जा चुका है और बाल विवाह के विरुद्ध 31.75 लाख से अधिक शपथ पोर्टल पर पंजीकृत की जा चुकी हैं, जो देश भर में मजबूत सामुदायिक जुड़ाव तथा सक्रिय भागीदारी को दर्शाती

हैं। बीवीएमबी पोर्टल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 61,900 से अधिक सीएमपीओ का एक केंद्रीकृत भंडार है, जो नागरिकों को एक कुशल रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करता है, जहां शीघ्र रिपोर्टिंग से बाल विवाह को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई संभव हो पाती है। 12.02.2026 तक पोर्टल पर दर्ज घटनाओं की कुल संख्या 2600 है, जिनमें से 2353 यानी 90 प्रतिशत से अधिक घटनाओं को रोका जा चुका है।

इसके अलावा, बाल विवाह की रोकथाम, किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक महत्वपूर्ण दायित्व है, जिसके अनुसार कानूनी उम्र से पहले विवाह के जोखिम में पड़े बच्चे को "देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा" माना जाता है। अधिनियम की धारा 27-30 के तहत अधिकारप्राप्त बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को ऐसे बच्चों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने, उनकी सुरक्षा, गरिमा और भलाई सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अपनी केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से, असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख सहित संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं में सहयोग करता है।

केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, आउटरीच अभियान और जनसंपर्क कार्यक्रम संचालित करती है और समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रथा के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए एडवाइजरी जारी करती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 'मिशन शक्ति' की व्यापक योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) कार्यक्रम क्रियान्वित करता है, जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता प्रसार करना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण केंद्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) भी इस संबंध में समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है और हितधारकों से परामर्श करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) अपने राज्य और जिला निकायों के साथ मिलकर बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता प्रसार करता है। नालसा ने सांविधिक अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों के समन्वय से बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम के लिए अपने पदाधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके अलावा, इसकी एक विशिष्ट हेल्पलाइन 15100 भी है जो महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के निर्दिष्ट वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक टोल-फ्री 24x7x365 आपातकालीन सेवा, चाइल्ड हेल्पलाइन (संक्षिप्त कोड 1098) शुरू की है। यह सेवा पुलिस, सीएमपीओ, जिला बाल संरक्षण इकाइयों इत्यादि के समन्वय से काम करती है और बच्चों को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर उचित समाधान करती है, जिसमें बाल विवाह की रोकथाम भी शामिल है। चाइल्ड हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ एकीकृत किया गया है ताकि 24x7x365 आपातकालीन प्रतिक्रिया, संसाधन और सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके अतिरिक्त, ईआरएसएस के साथ एकीकृत महिला हेल्पलाइन (181) की सेवाएं भी चौबीसों घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।

यद्यपि मंत्रालय नीतिगत और योजनाबद्ध संबंधी सहायता प्रदान करता है, तथापि, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने और इसके निवारण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, क्योंकि संविधान के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, और वे मौजूदा कानूनों के तहत ऐसे अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

'बाल विवाह निवारण तंत्रों की प्रभावशीलता' विषय पर दिनांक 13.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	वर्ष	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2021	6	4	0	13	16	0
2	2022	17	15	1	48	61	1
3	2023	15	13	0	61	73	0

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-2023 के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराध के तहत दर्ज मामले (सीआर), आरोप पत्र दाखिल किए गए मामले (सीसीएस), दोषसिद्धि मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), व्यक्ति जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए (पीसीएस) और दोषी ठहराए गए व्यक्ति (पीसीवी)

******